डिग्री व मुकदमा इत्यादि
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 46/2021
बकीराम पुत्र रामजीलाल जाति माली निवारी ग्राम मालीकी तहसील पहाडी

वादी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर ।

प्रतिवादी

2. ओमी
3. कपूर पिसरान रामजीलाल
4. चन्दा
5. सुनीता पुत्रीयान रामजीलाल जाति माली निवारी ग्राम मालीकी तहसील पहाडी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 ....व हाजिरी वकील वादी मिनजानिव वकील XXXX उपस्थित मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण 2 लगायत 5 को आराजी साविक खसरा नं0 13 मिन/0.13, 14/3 मिन/0.11,46 मिन/0.23, 47 मिन/0.44, 72/0.70, 373/1/0.41, किता 6 रकबा 2.02 है0 हाल खसरा नम्बर 19/0.13, 22/0.11, 72/0.23, 73/0.44, 111/0.70, 560/0.42 है0 बांके ग्राम मालीकी पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है।

आज ..... X .... मुबलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .... X .... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .... X ....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01.07. सन् 2021 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत ....
ओहदा ....
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

मुद्दई		रूपया	पैसा	मुद्दालय		रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	....	2.00		स्टाम्प अरजीदावा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....	1.00		स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....	1.00		स्टाम्प वजह सबूत	....		
महनताना वकील)पर	.....			महनताना वकील)पर	.....		
खर्चा गवाहान	.....			खर्चा गवाहान	.....		
फीस कमिश्नर	.....			फीस कमिश्नर	.....		
बबत इजराय हुक्मनामा	.....			बबत इजराय हुक्मनामा	.....		
मुतफर्रिक	.....			मुतफर्रिक	...		
मीजान	....	4.00		मीजान	....		

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

कदमा नं0 46/2021

कीराम पुत्र रामजीलाल जाति माली निवासी ग्राम मालीकी तहसील पहाडी

वादी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर ।

प्रतिवादी

2. ओमी
3. कपूर पिसरान रामजीलाल
4. चन्दा
5. सुनीता पुत्रीयान रामजीलाल जाति माली निवासी ग्राम मालीकी तहसील पहाडी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री प्रहलाद सिंह वकील वादी

दिनांक :–01.07.2021

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी साविक खसरा नं0 13 मिन/0.13, 14/3 मिन/0.11,46 मिन/0.23, 47 मिन/0.44, 72/0.70, 373/1/0.41, किता 6 रकबा 2.02 है0 हाल खसरा नम्बर 19/0.13, 22/0.11, 72/0.23, 73/0.44, 111/0.70, 560/0.42 है0 बांके ग्राम मालीकी पहाडी में स्थित है। वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के हक समान है। दावा दायरी के वक्त तरतीवी प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उन्हे तरतीवी प्रतिवादी बनाया गया है। विवादित आराजी पुश्तैनी आराजी है। आराजी पूर्व में वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान पांचा पुत्र रमलू की गैर मौरोसी की आराजी थी। जिस पर पांचा ने अपने जीवन काल तक काश्त की पांचा के मरने के बाद आराजी पर वारिस के तौर पर ग्यासी काबिज काश्त रहा । जिस पर ग्यासी ने सम्पूर्ण जीवन काल तक आराजो पर काश्त की। ग्यासी के मरने के बाद पिता वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण रामजीलाल के नाम बतौर गैरखातेदारी दर्ज हुई और रामजीलाल ने अपने जीवन काल तक वहैसियत खातेदार के रूप में काश्त की।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

आराजी के सम्बन्ध में पिता वादी व अन्य सहखातेदारों के मध्य विभाजन हुआ तो जो कि नकल जमाबन्दी सम्वत 2027 से 2030 से साबित है। पिता वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की फौती के बाद आराजी पर अब वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण मुताबिक हिस्सा काबिज काश्त है और मौके पर फसल खडी हुई है। इस प्रकार आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी की आराजी है। राजस्थाना काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के पूर्व से आराजी पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान गैर मौरोसी के रूप में काबिज काश्त थे और लगातार रूप से काश्त कर रहे और अब मौके पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को गैरखातेदार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा है। जबकि कानूनन वादी का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज कर देना चाहिये था। वादी ने यह दावा राजस्थान सरकार के विरूद्ध पेश किया है जिसके प्रतिनिधी तहसीलदार पहाडी है। कानूनन तहसीलदार को दो माह का नोटिस दिया जाना जरूरी होता है। लेकिन मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस दिया जाना सम्भव नहीं है। क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार का इन्द्राज होने के कारण राज सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं से वंचित होना पड रहा है। अतः निवेदन है कि आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगणका नाम गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावें। दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादीगण विवादित आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है और आराजी पुश्तैनी है। मुताबिक कानून वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो चुके है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। उसे कलमजन किया जाकर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने उपस्थित न्यायालय होकर दिनांक 30.03.2021 को वादी के दावा को स्वीकार करते हुये जबाब पेश किया है कि आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही आराजी पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान काबिज थे और अब हाल में आराजी पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। वाद पत्र में वर्णित आराजी नकल जमाबन्दी 2011 लगायत 2014 में पांचा पुत्र रमलू की गैरमौरोसी की आराजी थी पांचा की फौती के बाद आराजी विरासतन ग्यासी पुत्र पांचा के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुई जैसा की नकल जमाबन्दी 2019 लगायत 2022 तथा 2023 से 2026 से स्पष्ट है। ग्यासी के मरने के बाद आराजी रामजीलाल पुत्र ग्यासी के नाम गैरखातेदार के रूप में

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

र्ज रिकॉर्ड हुई । रामजीलाल की फौती के बाद आराजी पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के नाम गैर मौरोसी के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। जिस पर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। राजस्थान काश्तकारी आधिनियम के लागू होने के पूर्व से ही वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के बुजुर्गान पांचा गैर मौरोसी के रूप में दर्ज था। आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है। वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा व काश्त है एवं आराजी धारा 16 के अधीन नहीं आती है। वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को खातेदारी देना न्यायहित में है। अतः वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण को राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करना न्यायहित में है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

<u>तनकी संख्या 1 :–</u> आया विवादित आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है।

.....वादी

<u>तनकी संख्या 2 :–</u> आया आराजी पर चले आ रहे वादी, तरतीवी प्रतिवादीगण के गैरखातेदार के इन्द्राज के स्थान पर खातेदार दर्ज किया जावे।

.....वादी

3:–दादरसी ।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 नेकीराम , पी0डब्लू02 ओमी, के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी 2011 लगायत 2014, 2015 लगायत 2018, 2019 लगायत 2022, 2023 लगायत 2026, 2027 लगायत 2030, 2031 लगायत 2034, 2035 लगायत 2038, 2039 लगायत 2042, 2044 लगायत 2047, 2048 लगायत 2051, 2052 लगायत 2055, 2056 लगायत 2059, 2060 लगायत 2063, 2075 लगायत 2078 पेश की है। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2060 लगायत 2063, 2064 लगायत 2067, 2061 लगायत 2071, नकल मिलान क्षेत्रफल पेश की है।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस में वकील वादीग ने अपने दावे में दर्ज बातों को दोहराया ।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

<u>तनकी संख्या :– 1</u>आया विवादित आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है। उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर हैं।

पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2011 से 2014 में आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादी के बुजुर्गान पांचा पुत्र रमूल की गैर मौरोसी की आराजी थी।पांचा के मरने के बाद आराजी विरासतन ग्यासी पुत्र पांचा के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुई जैसा कि

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

नकल जमाबन्दी सम्वत 2019 से 2020 एवं सम्वत 2023 से 2026 से स्पष्ट है। ग्यासी के मरने के बाद आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण के पिता रामजीलाल पुत्र ग्यासी के नाम गैर खातेदार के रूप में दर्ज हुई। संलग्न रिकॉर्ड से साबित है कि आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है। तहसीलदार पहाडी ने भी अपने जबाब में स्वीकार किया है कि आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या :– 2आया आराजी पर चले आ रहे वादी, तरतीवी प्रतिवादीगण के गैरखातेदार के इन्द्राज के स्थान पर खातेदार दर्ज किया जावे।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार पहाडी के मुताबिक वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है। आराजी वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की पुश्तैनी आराजी है। वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण का कब्जा व काश्त है एवं आराजी धारा 16 के अधीन नहीं आती है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादी निर्णित की जाती है।

3. दादरसी :– तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

दावा वादीडिक्री किया जाकर वादी एवं तरतीवी प्रतिवादीगण 2 लगायत 5 को आराजी साविक खसरा नं0 13 मिन/0.13, 14/3 मिन/0.11,46 मिन/0.23, 47 मिन/0.44, 72/0.70, 373/1/0.41, किता 6 रकबा 2.02 है0 हाल खसरा नम्बर 19/0.13, 22/0.11, 72/0.23, 73/0.44, 111/0.70, 560/0.42 है0 बांके ग्राम मालीकी पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर).